न्यायालय नायब तहसीलदार राजगढ़ जिला अलवर (राज0)

प्रकरण सं0 27/2024-25 तारीख दायर :-17.09.2024 दिनांक निर्णय :-21.11.2024

पटवारी हल्का नाथलवाड़ा जरिये तहसीलदार राजगढ़ जिला अलवर राजस्थान।

बनाम ncms-2024/23

गिर्राज, गीलाराम, बाबूलाल, छोटेलाल पि0 लिक्षमण/लक्ष्मण जाति यादव निवासी नारायणपुर तहसील राजगढ़ जिला अलवर।

अन्तर्गत धारा 91, राजस्थान
भू0 राजस्व अधिनियम-1956

आज पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। पत्रावली का सूक्ष्म वृतान्त इस प्रकार से है कि पटवारी हल्का नाथलवाड़ा द्वारा राजस्व ग्राम नारायणपुर के आराजी खसरा नम्बर 37 रकवा 0.15 हेक्ट0 किस्म गै0मु0रास्ता के भाग 0.04 हेक्ट0 पर पक्का मकान व चार दीवारी व 52 रकवा 0.27 हेक्ट0 किस्म गै0मु0रास्ता के भाग 0.02 हेक्ट0 पर बाढ़ लगाकर व बोरिंग व पक्की चार दीवारी कर तथा ख0न0 71 रकबा 0.04 हेक्ट0 के भाग 0.005 हेक्ट0 पर बाड़ लगाकर कुल किता 3 रकबा 0.065 हेक्ट0 पर अतिक्रमण करने पर गिर्राज, गीलाराम, बाबूलाल, छोटेलाल पि0 लिक्षमण/लक्ष्मण जाति यादव निवासी नारायणपुर तहसील राजगढ़ जिला अलवर द्वारा अतिक्रमण करने की रिपोर्ट प्रस्तुत की गई, जिस पर विधिक उपाबन्धानुसार राजस्थान भू0 राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के अन्तर्गत अप्रार्थी को सुनवाई हेतु जरिये नोटिस तलब किया गया। जिसकी तामिल विधिव्त होकर प्राप्त हुई। गैरसायलान/ अप्रार्थीगण बावजूद तामिल के न्यायालय हाजा में अनुपस्थित रहा। अप्रार्थी की विरूद्ध इकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाती है। अप्रार्थीगण को राजस्व ग्राम नाथलवाड़ा के आराजी खसरा नम्बर 37 रकबा 0.15 हेक्ट0 किस्म गै0मु0रास्ता के भाग 0.04 हेक्ट0 व 52 रकबा 0.27 हेक्ट0 किस्म गै0मु0रास्ता के भाग 0.02 हेक्ट0 तथा ख0न0 71 रकबा 0.04 हेक्ट0 के भाग 0.005 हेक्ट0 कुला किता 3 रकबा 0.065 हेक्ट0 पर राजकीय सिवायचक भूमि पर अतिक्रमण कायम रखने की मंशा प्रतित होती है। भू0अ0निरीक्षक राजपुरबड़ा व पटवारी हल्का नाथलवाड़ा की रिपोर्ट सम्वत 2081 के अनुसार अप्रार्थी द्वारा ग्राम नाथलवाड़ा की सिवायचक भूमि पर किये गये अतिक्रमण की पुष्टि होती है। अतिक्रमी काविल बेदखली है।

अतः आदेश है किः-

अतिक्रमीयान गिर्राज, गीलाराम, बाबूलाल, छोटेलाल पि0 लिक्षमण/लक्ष्मण जाति यादव निवासी नारायणपुर तहसील राजगढ़ जिला अलवर वाके ग्राम नाथलवाड़ा के आराजी खसरा नम्बर 37 रकबा 0.15 हेक्ट0 किस्म गै0मु0रास्ता के भाग 0.04 हेक्ट0 व 52 रकबा 0.27 हेक्ट0 किस्म गै0मु0रास्ता के भाग 0.02 हेक्ट0 तथा ख0न0 71 रकबा 0.04 हेक्ट0 के भाग 0.005 हेक्ट0 कुला किता 3 रकबा 0.065 हेक्ट0 से बेदखल किये जाने के आदेश पारित किया जाता है, तथा सरह लगान 1.00 की 50 गुणा में मु0 50.00/-रूपये पेनल्टी अधिरोपित की जाती है। तहसील राजस्व लेखाकार राजगढ़ को पेनल्टी राशि की कायमी व पटवारी को पालनार्थ लिखा जावें। अतिक्रमीयान को भौतिकरूप से मौके से बेदखली हेतु भू0अ0निरीक्षक राजपुरबड़ा व पटवारी हल्का नाथलवाड़ा को आदेश दिये जाते है कि मौके से भौतिकरूप से बेदखल कर पालना रिपोर्ट प्रस्तुत करे।

आज दिनांक 21.11.2024 को निर्णय लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनवाया गया। पत्रावली नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

रा. ले. स. 4 वर्ष 2024-25
के पृष्ठ संख्या 74 प.द. 50/- शि.च.पं.
राशि कायम किये गये।
त. रा. लेखाकार

(वी.पी.सिंह नरूका)
नायब तहसीलदार
राजगढ़ (अलवर)